28.11.25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। स्वयं प्रार्थीगण अनुपस्थित। बार-बार रुक रुक कर न्यायालय समाप्त होने तक आवाज दिलवाई गई। किन्तु कोई भी उपस्थित होकर हाजिर न्यायालय नही आये हैं। अतः दावा प्रार्थीगण अदम हाजिरी। अदम पैरवी मे खारिज निर्णित किया जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)